प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

हरियाणा सरकार के राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करना और वित्तीय डेटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधानमंडल को जानकारी प्रदान करना है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं।

अध्याय 1 - राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसमें घाटे/अधिशेष, ऋण प्रोफाइल और मुख्य लोक लेखा लेनदेन सहित मुख्य सूचकांकों का वृहद राजकोषीय विश्लेषण और राज्य की राजकोषीय स्थिति शामिल है।

अध्याय 2 - बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग तथा आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विचलन पर रिपोर्ट करता है।

अध्याय 3 - वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मामलों पर टिप्पणी करता है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा और लेनदेन की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों वाली रिपोर्टें, वैधानिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां और राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों वाली रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की जाती हैं।

राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, किसी राज्य के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाएंगे।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन आने वाले खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों तथा प्रारंभिक एवं सहायक खातों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे और विनियोग लेखे संकलित करते हैं। इन लेखों की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए मुख्य डेटा का आधार हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: राजकोषीय मापदंडों और अनुमानों की तुलना में आवंटन प्राथमिकताओं के आकलन के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के मूल्यांकन के लिए।
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम।
- विभागीय अधिकारियों और खजानों (लेखांकन के साथ-साथ एमआईएस) के साथ अन्य डेटा।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद डेटा और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी।
- राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम।
- वित्त आयोग की सिफारिशें।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- भारत सरकार (जीओआई) की सर्वोत्तम प्रथाएं और दिशानिर्देश।

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के साथ 11 नवंबर 2025 को एक एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) की तैयारी में अपनाए गए लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी गई थी। अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के साथ 19 फरवरी 2026 को एग्जिट मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

सरकारी लेखे की संरचना

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है।

1. राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां शामिल हैं। कानून के अनुसार और भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित प्रयोजनों और रीति के अतिरिक्त, इस निधि से कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि पर भारित होती हैं (भारित व्यय) और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 (2))

यह निधि एक अग्रदाय के रूप में होती है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के माध्यम से स्थापित किया जाता है और इस निधि को राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है ताकि राज्य विधानमंडल द्वारा व्यय के प्राधिकार के लंबित रहने तक, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि दी जा सके। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को डेबिट करके इस निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखे (संविधान का अनुच्छेद 266 (2))

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहां सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा की जाती हैं। लोक लेखा में पुनर्भुगतान योग्य राशियां, जैसे कि लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वहन करने वाले और ब्याज वहन न करने वाले), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वहन करने वाली और ब्याज वहन न करने वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (ये दोनों अस्थायी शीर्ष हैं, जो अंतिम बुकिंग लंबित हैं) शामिल होती हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत शामिल होता है। लोक लेखा विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होता है।

सरकारी लेखों की संरचना